

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या:-2324/सेक-2-पांच-2017-7(237)/2014
लखनऊ :: 31 मई, 2017

अधिसूचना

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु लोक हित में 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) वर्तमान में कार्यरत चिकित्साधिकारियों में से जो चिकित्साधिकारी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होना चाहें, उन्हें विकल्प प्रदान किया जायेगा।
 - (2) चिकित्सा सेवाओं में गुणात्मक सुधार के दृष्टिकोण से 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे चिकित्साधिकारी जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है अथवा जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध पायी गयी है व जिनके विरुद्ध गम्भीर शिकायतें/शारीरिक अस्वस्थता है, उनकी स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा।
- 2- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू किये जायेंगे।
3- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 में यथावश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से वित्त विभाग द्वारा की जायेगी।


आज्ञा से,

आलोक कुमार
सचिव।

संख्या-2324(1)/सेक-2-पांच-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ०प्र०, इलाहाबाद को असाधारण गजट में उक्त तिथि को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(जे०एल० यादव)
अनु सचिव।

संख्या-2324(2)/सेक-2-पांच-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- समस्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 6- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।

- 8- समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला (पुरुष/महिला/संयुक्त) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
- 10- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
- 11- समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 12- वित्त/कार्मिक विभाग, उ०प्र० शासन।
- 13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे०एल० यादव)
अनु सचिव।

**UTTAR PRADESH SHASAN
CHIKITSA ANUBHAG-2**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no-2324/Sec-2-Panch-17-7(237)/2014, dated 31 May, 2017

Notification

No-2324 /Sec-2-Panch-17-7(237)/2014

Lucknow : Dated : 31 May, 2017

The Governor is pleased to amend in public interest the superannuation age 62 years of Medical Officers of Provincial Medical and Health Service in place of 60 years under following conditions:-

- (1)- Presently working Medical Officers will have option to retire at age of 60 year.
- (2)- In the view of Qualitative improvement of medical services such Medical Officers who has complete the age of 60 years and their performance is not satisfactory or their integrity is doubtful and having serious alligations imposed/physical illness, will have retire at the age of 60 years after screening.
- 2- This notification come into force with immediate effect.
- 3- The Essential amendment in the fundamental rule-56 of Financial handbook part-2 vol. II to IV will made by Finance Department.


By Order,

Alok Kumar
Secretary

No-2324(1)Sec-2-Panch-2017, Above dated

Copy to Director, Government Printing press, U.P, Allahabad, for Publication in 4(B) of Extra Ordinary Gazette on that date.

By Order,


(J.L Yadav)
Under Secretary

No-2324(2)/Sec-2-Five-2017, Dated

Copy to the following for information and necessary action :-

- 1- Accountant General (I), U.P., Allahabad.

- 2- Director Genral, Medical and Health Services, U.P. Lucknow.
- 3- Director Genral, Family Welfare, U.P. Lucknow.
- 4- Director (Administration), Medical and Health Services, U.P. Lucknow.
- 5- All Director, Medical, Health and Family Welfare, U.P.
- 6- Director, Pension, Pension Directorate, Indira Bhawan, Lucknow.
- 7- All Divisional Additional Director, Medical, Health and Family Welfare, U.P.
- 8- All SIC/CMS, Divisional/District (Male/Female/Joint) Hospitals, U.P.
- 9- All Chief Medical Officers, U.P.
- 10- All City Commissiner, Nagar Nigam, U.P.
- 11- All Treasury Officers, U.P.
- 12- Finance/Personnel Department, U.P Government.
- 13- Guard Book.

By order



(J.L. Yadav)

Under Secretary